न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–159 / 2023
GCMS NO:- 2023/265

दायर दिनांक– 03.07.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. कालू आ0 सुखदेव जाति गुर्जर नि0 ग्राम टोपा तहसील नैनवॉ।
2. किशनगोपाल आ0 सुखदेव जाति गुर्जर नि0 ग्राम टोपा तहसील नैनवॉ।
3. जगदीश आ0 सुखदेव जाति गुर्जर नि0 ग्राम टोपा तहसील नैनवॉ।
4. रमेश आ0 सुखदेव जाति गुर्जर नि0 ग्राम टोपा तहसील नैनवॉ।
5. सरोद पुत्री सुखदेव जाति गुर्जर नि0 ग्राम टोपा तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल मीना।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम टोंपा तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 496 / 135 रकबा 1.2459 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा बराबर 1 / 6 प्रत्येक का हिस्सा निहित है ओर इसी हैसियत से काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी भूमि पर डोल लगाकर मेडगबंदी कर पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि जानवरों व अन्य नुकसान से व आस पडोस वाले भी भूमि पर कब्जा नही करे। प्रार्थीगण सगे भाई है जो उक्त भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि का कई मर्तबा सीमांकन करवाया है लेकिन पत्थरगढी नही होने से मौके पर विवाद हो जाता है। प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब ने कहा कि पत्थरगढी करवाना है तो श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नैनवॉ के यहां से आदेश करवाओ इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा, पूर्व मे हुए सीमाज्ञान की प्रति पेश कर धारा 111 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 02 वर्ष का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व मे हुए सीमाज्ञान की प्रति भी संलग्न है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम टोंपा तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 496 / 135 रकबा 1.2459 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500 /– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा